

FORM No-III

फर्द अहकाम

(निगम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली  
 प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

रतनसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजतपुरोहित,  
 निवासी डारिया, तहसील रानी जिला  
 पाली

1. राज राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रानी
2. उप तहसीलदार खिवाडा तहसील रानी

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 54/2025

(जी.सी.एम.एस प्रकरण संख्या 2025/262)

किस्म मुकदमा : प्रार्थना अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23/9/25	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 74/2025 सरकार बनाम रतनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.09.225 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 8/10/2025 को पेश हो।  अति.जिला कलेक्टर, पाली	1917 26/9/25
8/10/25	पत्रावली पेश हुई स्वगत पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 14/10/25 को पेश हो।  अति. जिला कलेक्टर पाली (राज.)	
14/10/25	पत्रावली पेश हुई स्वगत पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 18/11/25 को पेश हो।  अति. जिला कलेक्टर, पाली	
18/11/25	पेशो. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी हस्ताव होकर पत्रावली दिनांक 21/12/25 को पेश हो।  Tia	Not Press Ramesh Adv.
9/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी ने स्वगत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं बढ़ाने हेतु नोट-प्रेस किया है। हेतु स्थिति में स्वगत प्रार्थना-पत्र वकील प्रार्थी की सहमति से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक तीनों की जाकर बाक तत्काल संख्या से एक रूप लेकर मूल पत्रावली के संलग्न राखिए पेश हो।  अति. जिला कलेक्टर, पाली	